भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
26.03.2025 के
तारांकित प्रश्न सं. 367 का उत्तर

राजस्थान में लंबित रेल परियोजनाएं

***367. श्री हरीश चंद्र मीना:**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में किन्हीं ऐसी रेल परियोजनाओं की पहचान की है जो वर्तमान में अपने निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राजस्थान में रेल परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए विशिष्ट कदम उठाए हैं;

(घ) क्या सरकार का उक्त राज्य में संपर्क और परिचालन दक्षता में सुधार के लिए लंबित परियोजनाओं को पुन: शुरू करने की प्रक्रिया को तेज करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

दिनांक 26.03.2025 को लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. 367 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ङ): रेल परियोजनाओं का सर्वेक्षण/स्वीकृति/निष्पादन राज्य-वार/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार नहीं बल्कि क्षेत्रीय रेल-वार किया जाता है, क्योंकि रेल परियोजनाएँ राज्य की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं।

राजस्थान राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली रेल अवसंरचना परियोजनाएं भारतीय रेल के उत्तर पश्चिम रेलवे, उत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे जोनों के अंतर्गत आती हैं। रेल परियोजनाओं की लागत, व्यय और परिव्यय सहित क्षेत्रीय रेल-वार ब्यौरा, भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है।

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, राजस्थान राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 51,814 करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 4,191 किलोमीटर लंबाई की 32 रेल परियोजनाएं (15 नई लाइनें, 05 आमान परिवर्तन और 12 दोहरीकरण) योजना व कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 1,183 किलोमीटर लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च 2024 तक 14,785 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। कार्य की स्थिति संक्षेप में निम्नानुसार है:-

योजना शीर्ष	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (कि.मी. में)	कमीशन की गई लंबाई (कि.मी. में)	मार्च 2024 तक व्यय (करोड़ रुपए में)
नई लाइन	15	1230	134	3593
आमान परिवर्तन	5	1252	759	5398
दोहरीकरण/मल्टीट्रैकिंग	12	1709	290	5794
कुल	32	4,191	1,183	14,785

राजस्थान राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों हेतु बजट आबंटन निम्नानुसार हैः-

अवधि	परिव्यय
2009-14	682 करोड़ रु. प्रति वर्ष
2025-26	9,960 करोड़ रु. (लगभग 15 गुना)

वर्ष 2009-14 और 2014-24 के दौरान राजस्थान राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाले नए रेलपथ की कमीशनिंग/बिछाने का विवरण निम्नानुसार है:-

अवधि	कमीशन किए गए नए रेल पथ	नए रेलपथ की औसत कमीशनिंग
2009-14	798 किलोमीटर	159.6 किलोमीटर प्रतिवर्ष
2014-24	3,742 किलोमीटर	374.2 किलोमीटर प्रतिवर्ष (2 गुना से अधिक)

राजस्थान राज्य में स्वीकृत और पूर्णतः/अंशत: पड़ने वाली प्रमुख परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

i. तरंगा हिल-अंबाजी-आबू रोड नई लाइन (116.65 किलोमीटर)

ii. नीमच-बड़ी सादड़ी नई लाइन (46.28 किलोमीटर)

iii. रींगस-खाटूश्यामजी नई लाइन (17.49 किलोमीटर)

iv. पुष्कर-मेड़ता (कत्यासनी) नई लाइन (51.346 किलोमीटर)

v. मेड़ता रोड पर बाईपास सहित रास-मेड़ता सिटी नई लाइन (55.90 किलोमीटर)

vi. देवगढ़-नाथद्वारा आमान परिवर्तन (82.54 किलोमीटर)

vii. अजमेर-चंदेरिया दोहरीकरण (178.20 किलोमीटर)

viii. लूनी-समदड़ी-भीलड़ी दोहरीकरण (271.97 किलोमीटर)

ix. चूरू-रतनगढ़ दोहरीकरण (42.81 किलोमीटर)

x. चूरू-सादुलपुर दोहरीकरण (57.82 किलोमीटर)

xi. जयपुर-सवाई माधोपुर दोहरीकरण (131.27 किलोमीटर)

रेल परियोजनाओं के प्रभावी और त्वरित कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं जिनमें शामिल हैं:- (i) निधि के आबंटन में पर्याप्त वृद्धि करना (ii) फील्ड स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन करना (iii) विभिन्न स्तरों पर परियोजना की प्रगति की गहन निगरानी (iv) शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वानिकी और वन्यजीवन संबंधी मंजूरियों और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों को सुलझाने के लिए राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकरणों के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करना।

किसी भी परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के प्राधिकारियों द्वारा वन संबंधी मंजूरी, लागत में हिस्सेदारी वाली परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा लागत हिस्से की राशि को जमा करना, परियोजनाओं की प्राथमिकता, अतिलंघनकारी जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियां, परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण परियोजना स्थल विशेष के लिए वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या, आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

******